उत्तराखण्ड में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति

डॉ. नीलम नेगी
सहायक प्राध्यापिका
इतिहास विभाग
डॉ0 बी0जी0 आर0 परिसर, पौड़ी
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर,
उत्तराखण्ड,भारत

सारांश

यद्यपि भारतीय इतिहास में स्त्रियों के सम्बन्ध में यत्र-तत्र वर्णन उपलब्ध होता है परन्तु साक्ष्य के रूप में विशिष्ट स्रोतों के सम्बन्ध में जानकारियां प्राप्त नहीं होती है, जिसका एक मात्र कारण यह भी है कि अन्य देशों की भांति भारतीय समाज भी पुरूष प्रधान है और महिलाओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। पुरूषों की तुलना में विश्व में महिलाओं की संख्या कम नहीं है तथा इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज व देश के आदर्शों और उच्चतम मूल्यों का संरक्षण भी उन्होंने अत्यन्त सफलतापूर्वक किया है। साथ ही उनके ही उदार दृष्टिकोण के कारण सामाजिक परम्पराएं एवं मान्यतायें जीवित रही हैं। स्त्रियों के

त्याग, प्रयास और ज्ञान के कारण विद्वानों की यह मान्यता है कि समाज की वस्तु स्थिति और उसके स्तर की जानकारी, समाज में रहने वाली महिलाओं की स्थिति से जानी व समझी जा सकती है।

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है और यहां के समाज में यदि हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां उत्तराखण्ड के समाज की रीढ़रज्जु रही हैं । पर्वतीय समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है क्योंकि यह ग्रामीण व्यवस्था पर अवलम्बित है। यहां की जनसंख्या का वृहद भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। मैदानी भागों से इस पर्वतीय प्रदेश की भौगोलिक स्थिति सर्वथा भिन्न होने के कारण यहां की कृषक नारियों को मैदानी क्षेत्र की कृषक नारियों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख साधन है। असमान स्थलाकृति एवं कृषि में परम्परागत पद्धतियों के प्रचलन के कारण कृषि अत्यधिक श्रम प्रधान हो जाती है। आय के वैकल्पिक स्रोतों की कमी के कारण पुरूष आबादी शहरी क्षेत्रों में पलायन करती है। इसके अलावा जो पुरूष कृषि के कार्यों में शामिल होते भी हैं वे केवल चुनिंदा ही कार्य करते है जैसे हल लगाना, बाकी कार्य जैसे फसलों के लिये जमीन तैयार करना, बीज चुनना, खाद, निराई, गुड़ाई, फसलों को बोना, लवना और जानवरों से फसल की रक्षा इत्यादि सभी कार्य स्त्रियों द्वारा ही किये जाते हैं। शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों में सर्द मौसम के कारण कृषि कार्य करना कठिन होता है तो स्त्रियों द्वारा पारम्परिक कार्य जैसे कालीन, दुशाले, कम्बल आदि बुनने का कार्य किया जाता है ये कार्य परिवार को अतरिक्त आमदनी उपलब्ध करवाते हैं।

पर्वतीय स्त्रियों का जीवन विलक्षण है। इनके उत्तरदायित्वों

की सीमा घर की चाहरदीवारी से बाहर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी घर की सीमा के भीतर। फलतः वे शताब्दियों से विश्राम रहित जीवन यापन करती चली आ रही हैं। यहां का भौगोलिक परिवेश, सामाजिक व्यवस्थायें तथा रीति रिवाज और समाज विशेष का आर्थिक गठन एवं वातावरण स्त्रियों के समक्ष चुनौतियों की एक अभेद्य दीवार खड़ी किये हुए है तथा वह निरंन्तर संघर्षों से जूझती हुई अपने पारिवारिक अस्तित्व को बनाये रखने का दृढ़ प्रयास करती है।

बाह्यरूपेण पर्वतीय स्त्रियों का जीवन खुशहाल व संतोषप्रद प्रतीत होता है, किंतु वास्तिविकता तो यह है कि आन्तरिक रूप से वे गहरी वेदना से पीड़ित रहती हैं विनय लक्ष्मी सुमन के शब्दों में, 'इस प्रदेश के किसी भी हिस्से में नारी को कोल्हू के बैल की भांति सुबह से शाम तक क्या मध्य रात्रि तक काम पर जुटे रहना पड़ता है तब भी उसे भरपेट भोजन नसीब नहीं होता । एस0 डी0 पंत ने भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि ये नारियां पुरूषों के समान कार्य करती हैं वे कृषि के सभी कार्य कुशलता पूर्वक सम्पादित करती हैं । यह एक तथ्य है कि ब्रिटिश शासक भी उनकी कार्यशैली और क्षमता से स्तब्ध रह गये थे। अल्मोड़ा जिले की बन्दोबस्ती रिपोर्ट में आर0 एल0 स्टाइफ ने लिखा है कि स्त्रियां ही मिट्टी के ढेले तोड़ती है और फसल लगाती है। जिन स्थानों में जाने में भी मुझें भय प्रतीत होता है, उन स्त्रियों का साहस ही है कि यहां चढ़कर घास काटें एवं बड़े-बड़े बोझ पीठ पर लाद कर लाऐं। वे ही खाद को खेतों तक पहुंचाती हैं। जंगल से लकड़ी लाना और धारे या नौले से पानी ढोना उनके ही जिम्मे हैं। वे मानव अधिकारों से वंचित हैं। निःसन्देह स्टाइफ का विवरण सवर्था सत्य है। ये स्त्रियां पर्वतीय समाज के आर्थिक जीवन का आधार

रही हैं। उनके कुशल श्रम ने पुरूष वर्ग के समक्ष सदा ही प्रश्न चिन्ह लगाया है। पर्वतीय समाज में खेती व घर के कार्य मुख्यतः स्त्री के ही दायित्व रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में स्त्रियां अभावों से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। ब्रिटिश प्रशासकों, विदेशी यात्रियों, पत्रकारों, राष्ट्रीय नेताओं ने इनकी स्थिति पर खेद प्रकट किया है। एस0 एस0 रन्धावा ने स्त्री समाज की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 'स्त्रियों की इस दुखःद दैनिक चर्या और कठोर जीवन के मध्य उनके पुरूष खेतों की सीमा पर बैठकर हुक्का पीते रहते हैं'। पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पुरूष आजीविका के लिए मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं इस कारण भी पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं गृहेत्तर कार्यों का दायित्व स्त्रियों के ऊपर ही आ जाता है जिसे वे बड़ी तल्लीनता से सम्पादित करती है। लोक साहित्य में उपलब्ध दृष्टान्तों से भी यह विदित होता है कि स्त्रियां पति वियोग सहते हुए भी कृषि कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करती हैं। निरन्तर बढ़ती जनसंख्या, सिमटते जंगल, सूखते जलस्रोत ने इन्हें अधिक परिश्रम करने को लिए विवश किया है। प्रातः काल सबसे पहले उठना और पन्द्रह से बीस घंटे प्रतिदिन काम करने के उपरांत सोना उनकी नियति बन चुकी है। कठोर परिश्रम उनकी दैनिक चर्या का हिस्सा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वदेशी संस्कृति एवं रीति रिवाजों के संरक्षण में भी स्त्रियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। स्वदेशी संस्कृति पारम्परिक मूल्यों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें भोजन, वस्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक अनुष्ठानों सहित आध्यात्मिक और शैक्षिक स्तर, आार्थिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक स्तर शामिल होते हैं।

उत्तराखण्ड का समाज पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें स्त्रियों

की सामाजिक स्थिति पुरूषों की तुलना में नीची है जबकि कार्यों को उनके बीच समान रूप से साझा किया जाता है। बालकों की शिक्षा को बालिकाओं की शिक्षा पर वरीयता दी जाती है इसी प्रकार धार्मिक संरचना भी पुरूषों को महिलाओं पर वरीयता देती है। विवाह के बाद लड़की अपनी मूल पहचान खो देती है और अपने पति के परिवार के नाम और जीवन शैली को अपना लेती है। पति व उसके परिवार की मान्यताओं और उसके कुल देवताओं को मानना पत्नी का धर्म माना जाता है। स्त्री की परिवार में स्थिति एक पत्नी के रूप में हीन ही रहती है उसे पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। एक विवाहित महिला का पुरूष की तुलना में सामाजिक स्तर भी हीन ही रहता है।

भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह करना दंण्डनीय अपराध है। लेकिन उत्तराखण्ड के पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच ही बालिकाओं का विवाह उम्र में अत्यधिक बड़े व्यक्ति, विधुर व्यक्ति या सेवानिवृत्त पेंशनभोगी से कर देना सामान्य बात है। शिक्षा और जागरूकता की कमी ही बालिकाओं की कम उम्र में शादी का कारण है इसी के कारण समाज में विधवा स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। विधवा स्त्रियों के प्रति भी समाज का दृष्टिकोण धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर तय होता है। उनकी उपस्थिति को बुरा माना जाता है। स्पष्टतः इन समाजों में एक विधवा स्त्री त्रासद जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य है।

विभिन्न आन्दोलनों और सरकार के स्तर पर किये गये सुधार कार्यों ने उत्तराखण्ड में महिलाओं के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन

किए लेकिन ये परिर्वतन मात्र सतही हैं। पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं के पति उनके स्थान पर सारे कार्य सम्पादित करते है और महिला अपने परम्परागत कार्य ही करती हैं। गरीब और अनपढ़ परिवारों की अपेक्षा शिक्षित परिवारों में दहेज उत्पीड़न के मामले अधिक हैं। आर्थिक असमानता के कारण भी महिलाओं पर अत्याचार के मामले अधिक है। समाज में अब भी वही पुरानी धारण बरकरार है कि 'स्त्री' कहने का अर्थ है कि वह कोई कमजोर और असहाय व्यक्ति होगा। स्त्रियों पर अपराध पहले भी होते थे, परन्तु उस समय महिलायें न तो इतनी जागरूक थी और न ही शिक्षा का स्तर उन्नत था। वर्तमान में कुछ स्वंयसेवी संगठनों और सरकार के प्रयासों से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन दृष्टिगोचर तो हुए हैं। स्त्रियों को शिक्षित और जागरूक करने के प्रयास किए गये हैं। जिसका प्रभाव स्त्रियों के जीवन पर दिखाई भी देता है वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुई हैं। लेकिन इन प्रयासों को और वृहद स्तर पर करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ताकि ग्रामीण स्तर पर हासिये पर खड़ी प्रत्येक स्त्री इससे लाभाविंत हो सके।

स्त्रियों के उत्पीड़न का एक मुख्य कारण यह भी है कि उनको उत्पादन के साधनों (जमीन, उपकरण,) पर नियंत्रण या स्वामित्व से अलग रखा गया और धीरे-धीरे उन्हे उत्पादन के कार्यों से भी श्रम के लैंगिक विभाजन के आधार पर बाहर कर दिया गया। उनको घर और बच्चों की देखभाल का ही काम मुख्य रूप से सौंप दिया गया। इस श्रम आधारित विभाजन में पुरूष का काम उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना है, जबकि स्त्रियों का काम प्रजनन तक ही सीमित है। इससे स्त्रियों की सामाजिक भूमिका कमजोर होती रही है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करते हुए स्त्रियों को कृषि भूमि में बराबरी का हक देने सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया है। इसके बाद स्त्रियों को अब उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह-खातेदार बनाया जाएगा। अनुमानतः 35 लाख स्त्रियां इससे लाभान्वानित होंगी। इसका प्रयोजन स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है, इस प्रकार के कानून स्त्रियों की स्थिति को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शक्ति, साप्ताहिक प्रकाशन, अल्मोड़ा, मई 24, 1958*
2. *पंत, एस0डी0, दि सोशल इकॉनामी ऑफ दि हिमालय बेसेज इन दि सर्वे इन कुमाऊ, लन्दन, 1935, पृ0 189*